कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

क्रमांक / न.प.ब्यावर / दी.अ.यो.–रा.श.आ.मि. / 2017–18 / 4739 दिनांक: 5/7/17

निविदा सूचना 01 / 2017

नगर परिषद ब्यावर द्वारा शहरी क्षेत्र मे दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अन्तर्गत आश्रय स्थलो के संचालन एवं रख रखाव हेतु रजिस्ट्रर्ड स्वयं सेवी संस्थाओ / एनजीओं के माध्यम से करवाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20 जुलाई 2017 को दोपहर 2.00 बजे तक विक्रय की जाकर प्राप्ति दिनांक 20 जुलाई 2017 को सांय 3.00 बजे तक सीलबंद टेण्डर बॉक्स में प्राप्त की जाएगी। जो उसी दिन उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधी के समक्ष सांय 5.00 बजे खोली जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखो मे)	अमानत राशि (2 प्रतिशत) रू. मे	निविदा शुल्क	कार्यपूर्ण करने की अवधि	निविदा प्राप्ति
1	आश्रय स्थल का संचालन व रख रखाव कार्य । (आश्रय स्थल, बिदाम देवी रेलवे स्टेषन के पास ब्यावर)	6.00	12000	500	12 माह	NULM शाखा
2	आश्रय स्थल का संचालन व रख रखाव कार्य । (आश्रय स्थल, प्राईवेट बस स्टेण्ड ब्यावर)	6.00	12000	500	12 माह	NULM शाखा

शर्ते:–

1. तार द्वारा प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं होगी। निविदा विक्रय या प्राप्ति की निर्धारित दिनांक को अवकाश होने पर अगले कार्यदिवस को विक्रय / प्राप्ति की जाएगी।
2. प्रत्येक आश्रय स्थल हेतु पृथक–पृथक निविदाएं स्वीकार की जाएगी।
3. निदेशालय स्थानीय निकास विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृत एवं निर्देशानुसार प्रति व्यक्ति प्रतिमाह एक हजार के आधार पर संस्था को एक आश्रय स्थल ही संचालन हेतु आंवटन करने का प्रावधान है इसी को आधार मानकर चयन प्रकीया अपनाई जाएगी।
4. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव स्वायत शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 24431–619 दिनांक 16.11.2015 द्वारा दिये दिशा निर्देशो की पूर्णतया पालना आश्रय स्थलो के संचालन एवं रखरखाव कार्य में की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं नियम लागू होंगे।
5. धरोहर राशि नगद / डी.डी. / पे–ऑर्डर आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर के नाम से जमा करवानी होगी।
6. स्वयं सेवी संस्थाओ / एन.जी.ओ. द्वारा दरें समस्त कर एवं सेवाकर (सर्विस टैक्स) को मिलाकर देनी होगी।
7. स्वयं सेवी संस्थाओं / एन.जी.ओ. को पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रति टेण्डर के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
8. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी एवं बिना किसी कारण बताए कोई भी निविदा निरस्त की जा सकती है।
9. किसी भी विवाद या शिकायत हेतु प्रथम व द्वितिय अपील अधिकारी क्रमशः उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग अजमेर एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर होगें।
10. CSR के तहत कोई कम्पनी अथवा संस्थान स्वंय के संसाधनो से आश्रय स्थल का संचालन करने हेतु इच्छुक संस्थाए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।
11. शर्ते नगर परिषद DAY- NULM शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।
12. उक्त निविदा से संबंधित विवरण / शर्ते State Public Procurement Portal (www.sppp.rajasthan.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर परिषद ब्यावर